आदेश ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 310/2020 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

ए यू स्माल फाईनेन्स बैंक लि॰ (पूर्व नाम ए यू फाईनेन्सियर (इण्डिया) लि॰ पता– 19 ए, धूलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर एवं ए यू स्क्वायर बी–11–ई मालवीय नगर इण्डस्ट्रीयल एरिया जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

1. गोविन्दम आर्ट इनोवेटर्स जरिये प्रोपराईटर बाबूलाल शर्मा
2. श्री हितेश शर्मा पुत्र बाबूलाल शर्मा
3. श्री बाबूलाल शर्मा पुत्र सत्यनारायण शर्मा
   निवासी 632, बरकत नगर, टोंक फाटक, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थित :–

1. श्री मनोज कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय बैंक संस्था की ओर से ।

आदेश दिनांक 05.10.2021

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 30.05.2019 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री बाबूलाल शर्मा के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लाट नं॰ 632, बरकत नगर, टोंक फाटक जिला जयपुर की दक्षिणी पश्चिमी व मध्य की सम्पत्ति जो कि विभाजन पत्र दिनांक 11.10.2012 के अनुसार अप्रार्थी बाबूलाल शर्मा के हिस्से व स्वामित्व की है, जिसका क्षेत्रफल 119.93 वर्गमीटर है को, बन्धक रखकर कुल राशि 20,00,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 17.02.2020 एवं 24.08.2020 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

मजिस्ट्रेट
टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 3 स्वयं उपस्थित आये।

3. उभय पक्ष को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. अप्रार्थी ऋणी ने बकाया ऋण राशि जमा करने हेतु अवसर चाहा है, किन्तु सरफेशी एक्ट के तहत प्रस्तुत धारा 14 के प्रार्थना पत्र का 30 दिवस व अधिकतम 60 दिवस में निस्तारित किये जाने के प्रावधान है। इसलिए और अधिकर समय नहीं दिया जा सकता।

5. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 सितम्बर 2017 का सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान बैंक के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को 20,00,000/– रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 21,03,302/–रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 17.02.2020 एवं 24.08.2020 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है । अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

7. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी बाबूलाल शर्मा के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लाट नं॰ 632, बरकत नगर, टौंक फाटक जिला जयपुर की दक्षिणी पश्चिमी व मध्य की सम्पत्ति (विभाजन पत्र दिनांक 11.10.2012 के अनुसार) क्षेत्रफल 119.93 वर्गमीटर का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

8. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर अखिल दफ्तर हो।

9. आदेश आज दिनांक 05.10.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

5/10/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर